उत्तर प्रदेश शासन
वित्त विभाग
(सामान्य)
अनुभाग–2
दिविध

दिनांक 30, नवम्बर, 2009 ई0

सं0 जी–2–1274/दस–2009–59/81–जनरल प्राविडेन्ट फण्ड (उत्तर प्रदेश), रूल्स, 1985 के नियम 11(1) कन्ट्रीव्यूट्री प्राविडेन्ट फण्ड (उत्तर प्रदेश) रूल्स के नियम 11(1) तथा उत्तर प्रदेश कन्ट्रीब्यूट्री प्राविडेन्ट फण्ड पेंशन इन्श्योरेन्स रूल्स, 1948 के नियम-9 के प्राविधानों के अनुसार राज्यपाल महोदय घोषित करते हैं कि जनरल प्राविडेन्ट फण्ड (उत्तर प्रदेश), कन्ट्रीब्यूट्री प्राविडेन्ट फण्ड (उत्तर प्रदेश) तथा उत्तर प्रदेश कन्ट्रीब्यूट्री प्राविडेन्ट पेंशन इन्श्योरेन्स फण्ड में अभिदाताओं (सब्सक्राइबर्स) द्वारा वित्तीय वर्ष 2009–2010 में जमा की गयी तथा उनके नाम अवशेष पर ब्याज की दर, सभी खातों में जमा कुल राशि पर 8 प्रतिशत (आठ प्रतिशत) प्रतिवर्ष होगी। यह दर पहली अप्रैल, 2009 से प्रारम्भ होने वाले वित्तीय वर्ष में लागू रहेगी।

आज्ञा से,
बी0 एन0 दीक्षित,
सचिव, वित्त।

The Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. G-2/1274/X-2009-59-81, dated November 30, 2009 for general information :

No. G-2-1274/X-2009-59-81

November 30, 2009

In accordance with the provisions of Rule 11(1) of the General Provident Fund (Uttar Pradesh) Rules, 1985, Rule 11 (1) of the Contributory Provident Fund (Uttar Pradesh) Rules and Rule 9 of the Uttar Pradesh Contributory Provident Fund Pension Insurance Rules, 1948, the Governor is pleased to announce that the rate of interest on deposits and also on the balance of the credit of the subscribers to General Provident Fund (Uttar Pradesh), Contributory Provident Fund (Uttar Pradesh) and the Uttar Pradesh Contributory Provident Pension Insurance Fund shall be 8% (eight per cent) per annum during the Financial Year, 2009-10, on all accounts. This rate shall be inforce during the Financial Year beginning on April 01, 2009.

By order,
B. N. DIKSHIT,
Sachiv, Vitta.

टिप्पणी–राजपत्र, दिनांक 26-12-09 के भाग 1 में प्रकाशित विज्ञप्ति।
[प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित–]
पी0एस0यू0पी0–2 सा0 वित्त–02-01-2010–5,000 प्रतियां (मोनो/डी0टी0पी0/आफसेट)।